

महात्मा गाँधी नरेगा योजना
सोशल आडिट के निष्कर्ष एवं संस्तुतियों
 (ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा तैयार किए जाने हेतु)

ग्राम पंचायत –

विकास खण्ड –

जनपद –

राज्य– उत्तर प्रदेश

वित्तीय वर्ष, जिसकी सोशल आडिट की गई है – वर्ष 2013–2014

सोशल आडिट सं०:..... वर्ष 2014 – 2015

सोशल आडिट करने की अवधि : दिनांक से दिनांक तक

सोशल आडिट ग्रामसभा बैठक की प्रस्तावित तिथि :

सोशल आडिट ग्रामसभा बैठक की वास्तविक तिथि :

1– सामान्य सूचना

क्र०	बिन्दु	सूचना
1.1	ग्राम पंचायत की कुल आबादी	
1.2	ग्राम पंचायत में मनरेगा के अन्तर्गत क्रियाशील (चालू) जॉब कार्डों की कुल संख्या	
1.3	पंजीकरण हेतु इच्छुक परिवारों की संख्या (जैसा कि सोशल आडिट टीम को सूचित किया गया)	
1.4	जिस अवधि का सोशल आडिट किया जा रहा है उस अवधि में ग्राम पंचायत में कराए गए कुल कार्यों की संख्या	
1.5	जिस अवधि का सोशल आडिट किया जा रहा है उस अवधि में मनरेगा के अन्तर्गत कुल व्यय	
1.6	जिस अवधि का सोशल आडिट किया जा रहा है, उस अवधि में पूर्ण कराए गए कार्य?	
1.7	जिस अवधि का सोशल आडिट किया जा रहा है, उस अवधि में सृजित कुल मानव दिवस	
1.8	जिस अवधि का सोशल आडिट किया जा रहा है, उस अवधि में कराए गए कार्यों पर मजदूरी के भुगतान की कुल धनराशि	
1.9	जिस अवधि का सोशल आडिट किया जा रहा है, उस अवधि में सामग्री क्रय पर व्यय की कुल धनराशि	
1.10	सोशल आडिट ग्राम सभा के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यवेक्षक का नाम	
1.11	सोशल आडिट टीम के सदस्यों (SATMs) का नाम 1. 2. 3. 4. 5.	

BSAC/SATMsके हस्ताक्षर

2- सोशल आडिट ग्रामसभा बैठक के दौरान सुलझाए गए मामले एवं लम्बित रहे मामलों में संस्तुत कार्यवाही

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम
2.1	परिवारों का पंजीकरण					
2.1.1	अर्ह परिवारों का पंजीकृत करने से इन्कार करना					
2.1.2	फर्जी परिवारों का पंजीकरण					
2.1.3	पंजीकरण के लिए शुल्क लिया जाना (धनराशि का उल्लेख करें)					
2.1.।	ग्राम पंचायत में पंजीकरण सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित न होना					

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम
2.2	जॉब कार्ड					
2.2.1	पंजीकरण के उपरान्त जॉब कार्डों को जारी नहीं करना					
2.2.2	पंजीकरण के उपरान्त जॉब कार्डों को जारी करने में विलम्ब करना					
2.2.3	फर्जी जॉबकार्ड जारी करना					
2.2.4	जॉबकार्ड जारी करने के लिए शुल्क लेना					

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम
2.2.5	जॉबकार्ड पर फोटो का न लगा होना					
2.2.5ए	फोटोग्राफ के लिए शुल्क लेना					
2.2.6	जॉबकार्ड की प्रविष्टियों को अद्यतन न किया जाना					
2.2.6ए	जॉब कार्ड की प्रविष्टियों (उपस्थिति, भुगतान) का मस्टर रोल की प्रविष्टियों से भिन्न होना					
2.2.7	जॉब कार्ड मजदूर के कब्जे में न होना					

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम
2.2ए	रोजगार कार्ड सूची को लगातार अद्यतन न किया जाना और उसे ग्राम पंचायत के सूचना पट पर न लगाया जाना					
2.2बी	जॉब कार्ड में नाबालिग/फर्जी व्यक्तियों का नाम सम्मिलित करना					
2.3	काम के लिए आवेदन पत्र					
2.3.1	काम के लिए आवेदन पत्र को सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा स्वीकार न किया जाना					
2.3.2	काम के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद बिना दिनांक अथवा गलत दिनांक अंकित कर जारी किया जाना					

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम
2.3.3	काम के लिए आवेदन पत्र की दिनांकित रसीद नहीं जारी किया जाना।					
2.3.ए	कार्य की मांगों को सम्यक् रूप से अभिलेखीकृत न किया जाना					
2.4	काम का आवंटन					
2.4.1	काम आवंटित करने में विलम्ब करना					
2.4.2	काम के आवंटन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा का अनुपालन न होना (महिलाओं की सहभागिता का प्रतिशत लिखें)					
2.4.3	5 किमी० परिधि के बाहर काम का आवंटन होने पर परिवहन-भत्ता (न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत) का भुगतान नहीं किया जाना					

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम
2.4.ए	कार्य आवंटन की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर न लगाया जाना					
2.4.बी	काम के निर्धारण में आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि के आधार पर रोस्टर न बनाया जाना					
2.4.सी	योजना के अर्न्तगत वंचित समूहों को काम न दिया जाना					
2.5	मजदूरी तथा बेरोजगारी भत्ता का भुगतान					
2.5.1	मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाना (धनराशि का उल्लेख करें)					

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम
2.5.2	मजदूरी के भुगतान में विलम्ब करना (धनराशि एवं विलम्ब की अवधि स्पष्ट करें)					
2.5.3	मजदूरी का भुगतान अनुमन्यता से कमतर करना (धनराशि स्पष्ट करें)					
2.5.4	गलत व्यक्तियों को मजदूरी का भुगतान करना (धनराशि स्पष्ट करें)					
2.5.5	अस्तित्वविहीन व्यक्तियों के नाम पर मजदूरी का भुगतान करना (धनराशि स्पष्ट करें)					
2.5.6	अस्तित्वविहीन प्रोजेक्टों के लिए भुगतान करना (धनराशि स्पष्ट करें)					

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम
2.5.7	बेरोजगारी भत्ता के भुगतान में विलम्ब के मामले (धनराशि एवं विलम्ब की अवधि का उल्लेख करें)					
2.5.8	बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नहीं किए जाने के मामले (धनराशि का उल्लेख करें)					
2.5.9	मजदूर को मजदूरी पर्ची (वेज स्लिप) न दिया जाना					
2.5.10	बैंक/पोस्ट आफिस पासबुक मजदूरों के कब्जे में नहीं होना					
2.5.11	बेरोजगारी भत्ता का भुगतान कम करना (धनराशि स्पष्ट करें)					

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम
2.6	कार्यों का चयन एवं कार्य-आदेश जारी करना					
2.6.1	कार्यों का चयन ग्रामसभा द्वारा संस्तुत कार्यों पर आधारित न होना					
2.6.2	कार्यों की प्राथमिकता न तैयार करना					
2.6.3	कार्यस्थल का दोषपूर्ण या गलत चयन करना					
2.6.4	तकनीकी प्राक्कलन बढ़ा-चढ़ाकर अथवा अशुद्ध तैयार करना					
2.6.5	प्राक्कलन में अनावश्यक व्यय शामिल करना					

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम
2.6.6	सामग्री की दरें एवं मात्रा बढ़ा-चढ़ाकर लिखना					
2.6.7	वार्षिक कार्ययोजना ग्रामसभा की बैठक में न तैयार किया जाना					
2.6.A	कामों का चयन नियोजना एवं विकास समिति द्वारा निर्धारित प्राथमिकता में न किया जाना					
2.6.B	नये कार्यों के लेने की प्रक्रिया एवं अनुमोदित कार्यों की सूची उपलब्ध न होना					
2.6.C	कराए गए कार्य अनुमन्य श्रेणी के न होना					

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम
2.6.D	काम शुरू होने से पहले 'परियोजना बैठक' बुलाकर मजदूरों को यह न समझाना कि उन्हें क्या काम करना है और काम के बारे में तयशुदा भौतिक एवं श्रम सम्बन्धी अनुमान क्या हैं?					
2.7	कार्य का क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण					
2.7.1	अस्तित्वविहीन मजदूरों को दर्ज करना					
2.7.2	अस्तित्वविहीन एवं फर्जी कार्यों को दर्ज करना					
2.7.3	कार्यों का निर्धारित विशिष्टताओं अथवा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होना					
2.7.4	स्वीकृत से कम मात्रा में अथवा खराब गुणवत्ता की सामग्री एवं टूल्स की अधिप्राप्ति या क्रय					

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम
2.7.5	शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट ग्रामसभा में तैयार नहीं किया जाना					
2.7.6	कार्यस्थल पर नागरिक सूचना पट्ट, जिसमें कार्य की लागत, स्वीकृत मात्रा एवं अन्य आवश्यक सूचनाएं हों, का न होना					
2.7.7	कार्यस्थल पर जनता द्वारा छानबीन के लिए मस्टर-रोल उपलब्ध न होना					
2.7.8	कार्य-स्थल पर सामग्री-पंजी का उपलब्ध न होना					
2.7.9	सम्पन्न किए कार्यों की माप-जोख दैनिक रूप से नहीं किया जाना					

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम
2.7.10	मजदूरों के समूह की उपस्थिति में अवर अभियन्ता द्वारा कार्य की अन्तिम माप जोख (साप्ताहिक भुगतान हेतु) नहीं किया जाना					
2.7.11	सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति द्वारा कार्य-स्थल का नियमित भ्रमण तथा अनुश्रवण नहीं किया जाना।					
2.7.12	क्या कोई शिकायत हुई जिसका 07 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी द्वारा निवारण नहीं किया गया					
2.7.13	माप पुस्तिका (एम०बी०) का रख-रखाव ठीक से नहीं करना					
2.7.14	माप पुस्तिका (एम०बी०) में त्रुटिपूर्ण माप-जोख का अंकन					

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम
2.7.15	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फर्जी जारी किया जाना					
2.7.15ए	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी करने में विलम्ब करना					
2.7.16	काम निर्धारित विशिष्टताओं अथवा निर्धारित मानकों के अनुरूप न होना					
2.7.17	तिथि भ्रामक/समझ से बाहर तरीके से दर्ज करना					
2.7.18	कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य पूर्ण होने पर लिए गए फोटो जनसामान्य के परीक्षण हेतु तथा सोशल आडिट हेतु उपलब्ध न होना					

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम
2.7.19	कार्यों को कराने में ठेकेदारों का उपयोग करना					
2.7.20	कार्य मजदूरों को हटाकर मशीनों से कराया जाना					
2.7.21	कार्य स्थल पर सुविधाओं (पेयजल, छाया, प्राथमिक चिकित्सा, शिशुशाला) का न होना या पर्याप्त न होना					
2.7.22	शिकायत/परिवाद, यदि कोई हो, के 07 दिनों के अन्दर उस पर कार्यवाही न होना या समाधान न होना					
2.7.A	प्रत्येक स्वीकृत कार्य हेतु कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्गत हस्ताक्षरयुक्त मस्टररोल प्रयोग में न लाया जाना					

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम
2.8	सोशल आडिट					
2.8.1	ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक छमाही एक बार सोशल आडिट नहीं किया जाना					
2.8.2	ग्राम सभा सदस्यों की अधिकतम प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए सोशल आडिट ग्राम सभा की तिथि, समय, स्थान, एजेण्डा एवं महत्व का व्यापक प्रचार-प्रसार न किया जाना					
2.8.3	सोशल आडिट ग्राम सभा की तिथि/समय/स्थान का निर्धारण लोगों की प्रतिभागिता की दृष्टि से उपयुक्त न होना					
2.8.4	सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में सदस्यों की पृच्छाओं का उत्तर देने के लिए योजना के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार सभी अधिकारी/कर्मचारियों का उपस्थित न होना					

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम
2.8.5	कार्यदाई संस्था से भिन्न व्यक्ति द्वारा कार्यवृत्त रिकार्ड न किया जाना।					
2.8.5.ए	प्रतिभागियों द्वारा कार्यवृत्त रजिस्टर पर सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक के प्रारम्भ तथा समापन पर हस्ताक्षर नहीं किया जाना					
2.8.6	पिछली सोशल आडिट पर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट को सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक के प्रारम्भ में नहीं पढ़ा जाना					
2.8.7	सोशल आडिट ग्रामसभा की बैठक की निर्धारित तिथि के 15 दिन पूर्व अभिलेखों की प्रतियां/सूचना उपलब्ध न कराया जाना					
2.8.8	सोशल आडिट ग्रामसभा में जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा नामित पर्यवेक्षक का उपस्थित न होना					

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम
2.8.9	ग्राम पंचायत की दीवारों पर सूचनाओं का खुलासा (वाल पेंटिंग) अद्यतन न होना					
2.9	अन्य					
2.9.1	धन के दुरुपयोग के मामले (यदि कोई हों) (मामलों की संख्या तथा धनराशि का उल्लेख करें और मामले का विस्तार पूर्वक वर्णन करें।					
2.9.2	दुर्विनियोग की गई धनराशियों की वसूली (मामलों की संख्या तथा धनराशि का उल्लेख करें और मामले का विस्तारपूर्वक वर्णन करें)					

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम

BSAC के हस्ताक्षर

क्र० सं०	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	ग्राम सभा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही		
				सुलझाए गए मामलों की संख्या एवं कृत कार्यवाही	लम्बित मामलों की संख्या एवं संस्तुत कार्यवाही	लम्बित मामलों के निस्तारण की सम्भावित तिथि एवं नोडल अधिकारी का नाम

BSAC के हस्ताक्षर

इन्दिरा आवास योजना

सोशल आडिट का निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ (ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर हेतु)

ग्राम पंचायत :..... विकास खण्ड:.....
जनपद :..... राज्य – उत्तर प्रदेश
सोशल आडिट ग्राम सभा बैठक की तिथि :.....
वर्ष (जिस वर्ष का सो0आ0 किया गया है) :.....

सामान्य सूचना

क्र. सं.	बिन्दु	सूचना
1.	ग्राम पंचायत में कुल परिवारों की संख्या	
2.	ग्राम पंचायत में बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या	
3.	बी0पी0एल0 सूची से बनी स्थाई पात्रता सूची में शामिल परिवारों की संख्या	
4.	जिस वित्तीय वर्ष का सोशल आडिट किया जा रहा है उस वर्ष इन्दिरा आवास का लक्ष्य	
5.	स्थायी पात्रता सूची से लिए गए परिवारों की संख्या	
5.1	बी0पी0एल0 सूची से लिए गए परिवारों की संख्या	
5.2	ऐसे परिवारों की संख्या जो किसी भी सूची में नहीं हैं	
5.3	स्थायी पात्रता सूची से वरीयताक्रम का उल्लंघन कर आवास दिए गए परिवारों की संख्या	
5.4	यदि वरीयता क्रम का उल्लंघन हुआ है, तो उसका कारण	
6.	जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यवेक्षक का नाम	
7.	सोशल आडिट टीम के सदस्यों का नाम— 1. 2. 3. 4. 5.	

2. सोशल आडिट ग्राम सभा बैठक के दौरान लिए गए निर्णय/संस्तुत कार्यवाही

क्र.सं.	प्रकरण	मामलों की सं०	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	सो०आ० ग्राम सभा बैठक में संस्तुति
1	वरीयता क्रम का उल्लंघन होना			
2	इन्दिरा आवास आबंटित परिवार का अनर्ह होना			
3	आवास का निर्माण पूर्ण न होना			
4	आवास की गुणवत्ता असंतोषजनक होना			
5	आवास हेतु पट्टे की भूमि का उपयुक्त न होना			
6	आवास आबंटन में अनियमित रूप से धनराशि की मांग करना			

(BSAC का नाम एवं हस्ताक्षर)

क्र.सं.	प्रकरण	मामलों की सं०	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	सो०आ० ग्राम सभा बैठक में संस्तुति
7	निर्मित आवास में लाभार्थी का स्वयं निवास न करना			
8	दूसरी किश्त प्राप्त करने में लाभार्थी को कठिनाई होना			
9	डी०आर०आई० ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होना			
10	अन्य ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का होना			
11	आवास हेतु सहयोग सेवाएं न मिलना			
12	शौचालय निर्माण में धनराशि के स्थान पर सामग्री प्राप्त कराया जाना			

(BSAC का नाम एवं हस्ताक्षर)

क्र.सं.	प्रकरण	मामलों की सं०	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	सो०आ० ग्राम सभा बैठक में संस्तुति
13	आवास में शौचालय का निर्मित न होना			
14	आवास में शौचालय पूर्ण है परन्तु उपयोग में न होना			
15	आवास में नाम पट्टिका न होना			
16	आवास के लाभार्थी को राजीव गांधी-विद्युत योजना/ किसी अन्य योजना से विद्युतीकरण का लाभ न मिलना			
17	आवास के आस-पास मानकों के अनुसार पेयजल सुविधा उपलब्ध न होना			
18	अर्ह लाभार्थी को मनरेगा से अनुमन्य व्यक्तिगत लाभार्थ परियोजनाओं का लाभ न मिलना			
19	आवास पूर्ण होने पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी न किया जाना			

(BSAC का नाम एवं हस्ताक्षर)

क्र.सं.	प्रकरण	मामलों की सं०	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	सो०आ० ग्राम सभा बैठक में संस्तुति
20	आवास अपूर्ण होने पर भी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना			
21	शिकायत का ठीक ढंग और समय से निराकरण न होना			

(BSAC का नाम एवं हस्ताक्षर)

क्र.सं.	प्रकरण	मामलों की सं०	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	सो०आ० ग्राम सभा बैठक में संस्तुति

(**BSAC** का नाम एवं हस्ताक्षर)

क्र.सं.	प्रकरण	मामलों की सं०	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	सो०आ० ग्राम सभा बैठक में संस्तुति

(**BSAC** का नाम एवं हस्ताक्षर)